

प्रेषक,

अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
गोण्डा।

सेवा में,

निबंधक,
मा0राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
सी-1 विकान्त खण्ड-1, गोमतीनगर,
लखनऊ। (उ0प्र0)

पत्रांक : 98 / जि0आ0 गोण्डा / मीडियेशन / 2021-22 दिनांक: 14-05-2022
विषय : जिला उपभोक्ता आयोग, गोण्डा हेतु मध्यस्थों को पैनलबद्ध करने हेतु विज्ञप्ति मा0
राज्य आयोग, उ0प्र0 लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके पत्रांक संख्या-3426 / एस0सी0डी0आर0सी0 / अधि0101 / 16 दिनांक: 02.12.2021 एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0-सी.पी. 480 / 2021 / 84-2-2021-सी.एन.1369528 दिनांक: 25.11.2021 के अनुपालन में उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियमन, 2020 की धारा-5 के अनुसार इस जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गोण्डा हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध किया जाना है। इस संबंध में प्रावधान है कि संबंधित विज्ञापन को एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जावे जिसके सम्बन्ध में जिला सूचना अधिकारी, गोण्डा को समाचार पत्र में उक्त सूचना प्रकाशित कराये जाने हेतु पत्राचार किया गया है।

नियुक्तियों के सम्बंध में सूचना

जिला उपभोक्ता आयोग, गोण्डा में मध्यस्थ नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति मा0राज्य उपभोक्ता आयोग, उ0प्र0 की वेबसाइट www.scdrc.up.nic.in से डाउनलोड कर एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गोण्डा के कार्यालय से समस्त जानकारी प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं।

अतः महोदय से अनुरोध है कि मा0 राज्य आयोग उ0प्र0 लखनऊ की वेबसाइट पर नियुक्तियों से सम्बंधित शर्तों एवं आवेदन का प्रारूप (संलग्न) एवं अंतिम तिथि को अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

सधन्यवाद।

भक्तदीय,

(रामानन्द)

अध्यक्ष,

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,

गोण्डा।
जिला उपभोक्ता विवाद
प्रति तोष आयोग गोण्डा

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गोण्डा।

सूचना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से सम्बद्ध मध्यस्थता प्रकोष्ठ उपभोक्ता मामलों में मध्यस्थता के लिये मध्यस्थों का एक पैनल तैयार करने का प्रस्ताव करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 75, उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम 2020 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम 2020 एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-सी.पी. 480/2021/84-2-2021-सी.एन.1369528 दिनांक: 25.11.2021 के अनुपालन में उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020 की धारा-5 के अनुसार एवं इसी क्रम में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-3426/एस.सी.डी.आर.सी./अधि.101/16 दिनांक: 02.12.2021 के क्रम में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गोण्डा में मध्यस्थता प्रकोष्ठ का गठन किया जाना है। इस सम्बन्ध में प्राविधान है कि सम्बन्धित में विज्ञापन को एक अंग्रेजी समाचार-पत्र एवं एक स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशित कराया जाये।

इसी क्रम में उचित पात्रता वाले व्यक्तियों से आवेदन एतद्द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं।

मध्यस्थ के रूप में पैनल बद्ध होने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे:-

- (i) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और किसी राज्य के उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवानिवृत्त सदस्य,
- (ii) उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य,
- (iii) दस वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी,
- (iv) वकालत में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता,
- (v) जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ में पैनलबद्ध मध्यस्थ,
- (vi) मध्यस्थता/सुलह में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति,
- (vii) न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृत्तिक अथवा सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी,

निम्नलिखित व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में पैनल बद्ध होने के लिए अनर्ह माने जायेंगे:-

- (i) ऐसा व्यक्ति जिसे दिवालिया के रूप में न्याय निर्णित घोषित किया गया हो,
- (ii) ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गोण्डा।

सूचना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से सम्बद्ध मध्यस्थता प्रकोष्ठ उपभोक्ता मामलों में मध्यस्थता के लिये मध्यस्थों का एक पैनल तैयार करने का प्रस्ताव करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 75, उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम 2020 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम 2020 एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-सी.पी. 480/2021/84-2-2021-सी.एन.1369528 दिनांक: 25.11.2021 के अनुपालन में उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020 की धारा-5 के अनुसार एवं इसी क्रम में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-3426/एस.सी.डी.आर.सी./अधि.101/16 दिनांक: 02.12.2021 के क्रम में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गोण्डा में मध्यस्थता प्रकोष्ठ का गठन किया जाना है। इस सम्बन्ध में प्राविधान है कि सम्बन्धित में विज्ञापन को एक अंग्रेजी समाचार-पत्र एवं एक स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशित कराया जाये।

इसी क्रम में उचित पात्रता वाले व्यक्तियों से आवेदन एतद्द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। च

मध्यस्थ के रूप में पैनल बद्ध होने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे:-

- (i) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और किसी राज्य के उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवानिवृत्त सदस्य,
- (ii) उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य,
- (iii) दस वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी,
- (iv) वकालत में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता,
- (v) जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ में पैनलबद्ध मध्यस्थ,
- (vi) मध्यस्थता/सुलह में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति,
- (vii) न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृत्तिक अथवा सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी,

निम्नलिखित व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में पैनल बद्ध होने के लिए अनर्ह माने जायेंगे:-

- (i) ऐसा व्यक्ति जिसे दिवालिया के रूप में न्याय निर्णित घोषित किया गया हो,
- (ii) ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता

शामिल हो, लगाये गये हो और लम्बित पड़े हो,

(iii) ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी अपराध के लिए दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हेतु सिद्ध दोष ठहराया गया है,

(iv) ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई हो और लम्बित हो, अथवा दण्ड दिया गया हो,

(v) ऐसा व्यक्ति जो उपभोक्ता विवाद के विषय में हितबद्ध रहा हो अथवा उससे संबंधित हो अथवा जो वृत्तिक क्षमता सहित किसी भी रीति में उपभोक्ता विवाद में किसी भी पक्ष या उसके किसी सहभागी, सहयोगी, प्रमोटर्स, मूल कम्पनी, अनुषंगी कम्पनी, भागीदारों, निदेशकों या कर्मचारी इत्यादि से संबंधित हो अथवा सम्बद्ध हो अथवा से जुड़ा हुआ हो,

अर्ह व्यक्ति अपना पूर्ण नाम, पता शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, टेलीफोन / मोबाइल न० का विवरण संलग्न निधारित प्रोफार्मा पर उल्लिखित करते हुए, आवेदन दिनांक 19.05.2022 की सायं 5:00 बजे तक कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गोण्डा लखनऊ रोड़ मण्डलायुक्त आवास के सामने निकट दीवानी परिसर उ०प्र० पिन कोड 271001 में किसी भी कार्य दिवस में जरिये पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र पर अपना स्वहस्ताक्षरित नवीनतम फोटो चस्पा करना होगा। इस संबंध में यह भी सूच्य है कि पैनलबद्ध मध्यस्थ को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एवं नियम व विनियम 2020 के अनुसार जिला पीठ जिला उपभोक्ता आयोग, गोण्डा द्वारा तय मानदेय निर्धारित व्यवस्था के अन्दर देय होगा।

01/14.5.22
(रामानन्द)

अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
जिला उपभोक्ता विवाद
प्रति तोष आयोग गोण्डा

पत्रांक:- /जि०उप०वि०प्रति०आ०गोण्डा/2021-22

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- ✓ 1. जिला सूचना अधिकारी गोण्डा को 03 प्रतियो सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को कम से कम एक अग्रेजी समाचार पत्र व गोण्डा में प्रचलित एक स्थानीय हिन्दी समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित कराने तथा सूचना प्रकाशित होने संबंधित समाचार पत्रों की प्रति भी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु।
- 2- प्रभारी अधिकारी नजारत, जनपद न्यायालय गोण्डा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अधिकतम प्रचार व प्रसार हेतु जनपद न्यायालय के मुख्य नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु,

- 3- अध्यक्ष, सिविल बार एसोसिएशन, (सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड) गोण्डा को एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड एवं अधिक से अधिक अधिवक्तागण के मध्य प्रचारित एवं प्रसारित कराने हेतु,
- 4- अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन, (कलक्ट्रेट कम्पाउण्ड) गोण्डा को एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड एवं अधिक से अधिक अधिवक्तागण के मध्य प्रचारित एवं प्रसारित कराने हेतु,
- 5- इस आयोग के कार्यालय के मुख्य नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु,
- 6- प्रभारी अधिकारी, (नजारत) कलक्ट्रेट गोण्डा को उक्त सूचना को अधिकतम प्रचारित एवं प्रसारित कराने हेतु कलक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य नोटिस बोर्ड एवं कलक्ट्रेट के वेब पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु,
- 7- प्रभारी अधिकारी तहसील सदर गोण्डा को उक्त सूचना को अधिकतम प्रचारित एवं प्रसारित कराने हेतु तहसील कार्यालय के मुख्य नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।

14.5.2022

(रामानन्द)

अध्यक्ष

जिला उपभक्ता विवाद प्रतितोष
जिला उपभक्ता विवाद
आयोग गोण्डा
प्रति तोष आयोग गोण्डा

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग,गोण्डा से सम्बद्ध मध्यस्थता प्रकोठ के लिये
मध्यस्थ के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र।

आवेदक अपना
पासपोर्ट आकार का
स्वप्रमाणित/सत्यापित
नवीनतम फोटो
चिपकायें

1.	आवेदक का नाम (हिन्दी में)	
2.	आवेदक का नाम (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में) 1/2	
3.	आवेदक के पिता का नाम (हिन्दी में)	
4.	आवेदक की माता का नाम (हिन्दी में)	
5.	वैवाहिक स्थिति: विवाहित या अविवाहित विवाहित है तो जीवनसाथी का नाम व व्यवसाय	
6.	आवेदक की जन्म तिथि	
7.	आवेदक का स्थायी पता	
8.	आवेदक का मोबाइल न0	
9.	आवेदक का ई-मेल आईडी	
10.	आवेदक का पत्राचार का पता	
11.	आवेदक का वर्तमान व्यवसाय और वार्षिक आय	
12.	आवेदक की शैक्षणिक योग्यता	
13.	आवेदक का मध्यस्थता और शैक्षणिक क्षेत्र/सेवा में अनुभव	
14.	क्या आवेदक ने कभी राज्य/केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पोस्ट पर कार्य किया है? यदि हां तो विवरण दें।	
15.	क्या आवेदक ने कभी मध्यस्थता का कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है? यदि हां, तो विवरण दे और अपेक्षित प्रशिक्षण प्रमाण -पत्र संलग्न करें।	
16.	आवेदक के किसी न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी/उपभोक्ता आयोग का सेवानिवृत्त सदस्य/वकालत का दस वर्ष का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता/मध्यकता/सुलह में न्यूनतम पांच वर्षों का रखने वाला कोई व्यक्ति/न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृत्तिक अथवा सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त	

	अधिकारी होने की दशा में उसका सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र/अनुभव प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें एवं सेवा का अन्तिम पद का उल्लेख करें।	
17.	क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया है?	
18.	क्या आवेदक पर किसी आपराधिक मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है? यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है।	
19.	क्या आवेदक को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध किया गया है? यदि हां तो तत्सम्बंधी ब्यौरा।	
20.	क्या आवेदक को किसी सक्षम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा कभी दिवालिया के रूप में न्यायानिर्णीत घोषित किया गया है? यदि हां तो उसका ब्यौरा दे।	
21.	क्या आवेदक के विरुद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गयी और लम्बित है अथवा दण्ड दिया गया है यदि हां तो उसका ब्यौरा दें।	
22.	कोई अन्य जानकारी जो कॉलम न0 01 से 21 के अंतर्गत नहीं आती है।	

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

दिनांक.....

स्थान.....

घोषणा-पत्र

एतद्वारा मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस आवेदन में जो भी सूचनाएं अंकित की गयी है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही व सत्य है। भविष्य में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये।

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

दिनांक.....

स्थान.....

टिप्पणियां:-

1- आवेदक अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के समर्थन में संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।

2- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से "कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,गोण्डा के पते पर दिनांक 19.05.2022 को सायं 05:00 बजे तक या उससे पहले जमा किये जा सकते हैं। इसके पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।

3- आवेदक को ऊपर दिये गये निर्देशों और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये नियमों और विनियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।